

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-18/2015-

69 आवंटन /कृ0, पटना, दिनांक 14/7/2015

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

विषय:

बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी को वित्तीय वर्ष 2015-16 में 361.45 लाख (तीन करोड़ एकसठ लाख पैतालीस हजार) रु० मात्र सहायक अनुदान के लिए स्वीकृत योजना उद्व्यय अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 3.61 लाख (तीन लाख एकसठ हजार) रु० मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹3,61,000 (तीन लाख एकसठ हजार रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3268 दिनांक-02.07.2015 द्वारा बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी को वित्तीय वर्ष 2015-16 में 361.45 लाख (तीन करोड़ एकसठ लाख पैतालीस हजार) रु० मात्र सहायक अनुदान के लिए स्वीकृत योजना उद्व्यय अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 3.61 लाख (तीन लाख एकसठ हजार) रु० मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृति राशि के अन्तर्गत व्यय हेतु कुल ₹3,61,000 (तीन लाख एकसठ हजार रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2.उपरोक्त कुल ₹3,61,000 (तीन लाख एकसठ हजार रु०) मात्र की निकासी बजट-शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म-उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उप योजना-माँग संख्या-1-उपशीर्ष-0140- बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड-P2401007960140, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-50 15, के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में विषयशीर्ष 3104-सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

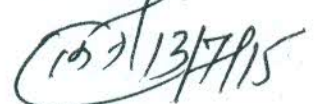
3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2)दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-5294 दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।



विश्वासभाजन,



(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।
कृषि विभाग बिहार पटना।

ज्ञापांक

69 आलंन

/कृ०, पटना, दिनांक 14/7/2015

प्रतिलिपि :

2. महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रेषित।

(15/7/15)

सरकार के संयुक्त सचिव।
कृषि विभाग बिहार पटना।

ज्ञापांक

69 आलंन

/कृ०, पटना, दिनांक 14/7/2015

प्रतिलिपि : वित्त विभाग बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, उद्यान बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०एम० बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना/ निदेशक बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी/अपर कृषि निदेशक, (प्रसार) बिहार पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार, राज्य बीज निगम, पटना/कुलपति, रा०कृ०वि०वि०, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बि०कृ०वि०वि०, सबौर, भागलपुर/निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त निदेशक, (शष्य), योजना बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संयुक्त निदेशक (शष्य), पाट पूर्णियाँ/सभी उप निदेशक, (शष्य) प्रक्षेत्र/उप निदेशक, (शष्य), बीज बिहार पटना/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना / आई. टी. गैनेजर बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

उमा

(15/7/15)

सरकार के संयुक्त सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना।